

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा।

विज्ञापन सं०- 01/2026

आवेदन हेतु अंतिम तिथि - 24.07.2026

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा आधारित पद पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति, लोहरदगा द्वारा संविदा के आधार पर निम्न कार्यक्रम के लिए संविदा रिक्त पद (बैकलॉग) हेतु अंकित मानदेय के विरुद्ध वांछित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 25.06.2026 से दिनांक 24.07.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक बंद लिफाफ में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र	कार्यक्रम का नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	संविदा कुल पद की संख्या (बैकलॉग)	योग्यता एवं अर्हता	मासिक मानदेय
1	2	3	4	5	6	7
1	National Centre for Vector Borne Disease Control (NCVBDC)	Malaria Technical Supervisor (MTS) - NCVBDC	अनुसूचित जनजाति (ST)	1 (बैकलॉग)	Essential Qualification : Graduate preferably from biology stream and in case the candidate with desired qualification is not available, a graduate with science in class XII shall be considered. Experience candidates in health related programme shall be given preference. The candidates should have a valid two wheelers driving license.	Rs 24,036/-

उपरोक्त सारणी में Essential Qualification का तात्पर्य आवश्यक न्यूनतम योग्यता है।

चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा - कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक 10/नीति नि०-07-04/2015 का.- 03/राँची दिनांक 02.01.2026 के आलोक में निम्नवत गणना की जायेगी -

क.

क्र०	कोटि	अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा
1	अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

ख. भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्ष की छूट। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ग. न्यूनतम आयु सीमा - 21 वर्ष

घ.

न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम आयु सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि
31 मई 2026	31 मई 2026

चयन की शर्तें –

- i) संविदा के आधार पर चयनित कर्मी का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा। योगदान पूर्व इस आशय का Indemnity bond संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। भविष्य में चयनित अभ्यर्थी द्वारा सेवा स्थायीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
- ii) चयन प्रक्रिया में संबंधित पद पर जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।
- iii) संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। आवश्यकतानुसार उसे एक-एक साल में Annual Performance Appraisal के आधार पर बढ़ायी जा सकती है।
- iv) संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मी को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- v) जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर का पूर्णांक/प्राप्तांक/प्रतिशत आवेदन में भरेंगे उन्हें मार्कशीट के साथ CGPA रूपान्तरण चार्ट (Conversion Chart) भी संलग्न करना होगा। अभ्यर्थियों में एकरूपता हेतु जिन अभ्यर्थियों का इंटर के कुल अंक में वोकेशनल विषय का अतिरिक्त अंक जोड़ा गया है उस अंक को घटा कर आवेदन में पूर्णांक/कुल प्राप्तांक/प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- vi) लिखित परीक्षा उपरांत विज्ञापित अर्हता, योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा Shortlisted अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- vii) दिव्यांग अभ्यर्थियों को लाभ हेतु नियमानुसार मान्य प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- viii) आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- ix) कार्यक्रम के अंतर्गत रिक्त पद का लिखित परीक्षा लिया जायेगा।
- x) चयन समिति के पास आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन/विज्ञापन रद्द करने की शक्ति सुरक्षित रहेगा।
- xi) संविदा नियुक्ति के समय किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार/सम्पर्क मान्य नहीं होगा।
- xii) चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले संसूचित रिक्तियों में बदलाव किया जा सकता है।
- xiii) मासिक मानदेय का निर्धारण औपबंधिक है।
- xiv) अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी/आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र गलत/फर्जी पाये जाने की स्थिति में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
- xv) कार्यानुभव प्रमाण पत्र मात्र सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थानों से संबद्ध निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

xvi) आरक्षण –

➤ आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र –

- (क) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-1** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से

निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-II** पर धारित है।

- (ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (च) पिता/पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

➤ **जाति प्रमाण पत्र -**

- (क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-III** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-IV** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-V** पर धारित है।

- (ख) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
- (ग) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ङ) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (च) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (छ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

नोट –

1. सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट-V पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र संविदा नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 2. स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
 3. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र समिति द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- xvii) संविदा नियुक्ति प्रक्रिया में जिला चयन समिति, लोहरदगा का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

चयन की प्रक्रिया :

चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

- i) अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं शैक्षणिक परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांक के आलोक में किया जायेगा। जिसका निर्धारण विभागीय निर्देशानुसार/जिला चयन समिति के निर्णयानुसार किया जाएगा। मेधा सूची/चयन सूची के निर्धारण में संशोधन का अधिकार जिला चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। लिखित परीक्षा/तकनीकी परीक्षा (Skill Test) में भाग लेने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- ii) यदि तकनीकी परीक्षा (Skill Test) की आवश्यकता हो तो वैसी परिस्थिति में उक्त दक्षता परीक्षा मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इसका प्राप्तांक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- iii) चयन का आधार अभियान निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के पत्रांक 611 (MD), दिनांक 31.08.2017 के आधार पर गैर पारामेडिकल पद के लिए चयन प्रक्रिया हेतु कुल अंकन 100 अंकों का होगा जिसमें लिखित परीक्षा- 60 अंक का होगा एवं शेष 40 अंक शैक्षणिक परीक्षाओं में प्राप्त अंको के आधार पर निम्न प्रकार से देय होगा –
गैर पारामेडिकल पद के लिए 40 अंकों का विभाजन शैक्षणिक हेतु –
50-64 प्रतिशत में 10 अंक, 65-79 प्रतिशत में 20 अंक तथा 80-100 प्रतिशत में 30 अंक एवं Relevant higher Qualification in the concerned stream of education, if applicable के 10 अंक हेतु 50-64 प्रतिशत में 3 अंक, 65-79 प्रतिशत में 6 अंक तथा 80-100 प्रतिशत में 10 अंक देय होगा।

लिखित परीक्षा/शैक्षणिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा।

- iv) चयन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किये गये मेधा सूची में से क्रम के अनुसार, रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। यह मेधा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- v) लिखित परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे।
- vi) अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची, उपायुक्त के कार्यालय/ सिविल सर्जन के कार्यालय/ जिला जनसंपर्क कार्यालय/जिला नियोजन कार्यालय, लोहरदगा के सूचनापट्ट

- पर एवं एन0आई0सी0, लोहरदगा के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मेधा सूची के प्रकाशन की सूचना सूचनापट्ट पर, समाचार पत्र एवं वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।
- vii) आवेदन जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार की सूचना जिला के वेबसाइट <https://lohardaga.nic.in/> के माध्यम से समय-समय पर सूचित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार एतद् सूचना समाचार पत्र पर भी दी जायेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :

- i) उपरोक्त पद के आलोक में योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी कम्प्यूटरीकृत आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में **असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा** के पदनाम से निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के अंदर करेंगे।

आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु पता –

**असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय,
सदर अस्पताल परिसर, पोस्ट + जिला – लोहरदगा,
झारखण्ड, पिन – 835302।**

- ii) आवेदन पत्र के साथ आवश्यक शैक्षणिक अंक पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति, कार्यानुभव प्रमाण पत्र तथा वैध ड्राईविंग लाइसेंस की स्व अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य का जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति तथा आवेदन- पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- iii) आवेदन पत्र के साथ जो प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना है उसे आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, बाद में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जमा करने पर मान्य नहीं होगा।
- iv) आवेदन शुल्क – आवेदन हेतु अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200/- रूपया का डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित है जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान District Health Society, Lohardaga के नाम का तथा लोहरदगा जिले में भुगतेय लिखा हुआ होना अनिवार्य होगा।
- v) 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है।
- vi) परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- vii) निम्न सूचनाएँ लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा –
- विज्ञापन संख्या –(बैकलॉग) पद का नाम –.....कोटि – ST
अभ्यर्थी का नाम एवं पता –**
- viii) अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ix) हाथों हाथ आवेदन पत्र कार्यालय में स्वीकार्य नहीं होगा तथा किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।


23/6/26
सिविल सर्जन,
लोहरदगा।
23.6.26

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र (बैकलॉग)

(आवेदन प्रपत्र कम्प्यूटरीकृत कर आवेदित करें। हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।)

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
लोहरदगा।

1. पद का नाम
2. आवेदक का नामलिंग
3. पिता/पति का नाम
4. जन्म तिथि
5. श्रेणी (अनुसूचित जनजाति)
6. मोबाईल नं०(अनिवार्य)
7. वैध ई-मेल आई० डी०(अनिवार्य)
8. स्थायी पता
9. पत्राचार का पता



10. शैक्षणिक योग्यता

- क. मैट्रिक से शुरू करते हुए उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण अंकित करें।
ख. सारे योग्यताओं के स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अवश्य संलग्न करें।

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/संस्थान का नाम एवं पता	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र संख्या

11. ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण –

जारी करने वाले कार्यालय का नाम	अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तिथि	कब से कब तक वैध है

12. कार्य अनुभव –

- क. हाल के कार्य अनुभव से शुरुआत करते हुए सभी अनुभव को दर्ज करें।
ख. कृपया स्वयंसेवक (Volunteer) के कार्य को कार्य अनुभव में न लिखें ये मान्य नहीं होगा।
ग. सारे कार्य अनुभवों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

पद का नाम	संस्थान का नाम	कार्यक्षेत्र का नाम	अनुभव (तिथि अंकित करें)		कुल कार्यानुभव (वर्ष,माह,दिन सहित)
			कब से	कब तक	



13. झारखण्ड के स्थानीय निवासी हैं अथवा नहीं। यदि हाँ तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का विवरण –

निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या	निर्गत करने की तिथि

(सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. श्रेणी (अनुसूचित जनजाति) –

निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	जाति प्रमाण पत्र संख्या	निर्गत करने की तिथि

(सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

15. शारीरिक रूप से दिव्यांग

(सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

16. परीक्षा शुल्क की विवरणी

DD No.	Date of Issue	Drawn from Bank & Branch

घोषणा

उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही हैं, कोई भी सूचनाएँ गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

तिथि

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर



परिशिष्ट-(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक- 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक- 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और
यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198
दिनांक- 18.04.2016 की कंडिका- में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया
गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के
स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट- (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 5752 दिनांक- 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक-19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं. :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री.....
..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो0.....
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198 दिनांक-
18.04.2016 की कंडिका- में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है।
प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय
निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट- (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि.-19-11/2008
का.-5682 दिनांक- 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या-.....

तिथि:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
डाकघर..... थाना जिला राज्य.....
अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति
के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य..... में
निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट—(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.—03—13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में) पता—ग्राम/वार्ड/शहर.
..... पो०.....थाना..... जिला/प्रमंडल.....
...राज्य/संघशासित प्रदेश, झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीनजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को मानने वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
..... जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा— 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:-

i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट (V)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता ग्राम/नगर
जिला/प्रमंडल, राज्य/संघशासित प्रदेश
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- * संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

- क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।
- ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :
- जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
 - मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
 - राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
 - उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान

तिथि

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित